न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 170 सन 2009
अनवान :–

1. चुन्नीराम पुत्र बिसाउराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. किशोर 2. सोरतन 3. राजु 4. जुगल पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी करवा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. पुसबा 6. मैना 7. भंवरी 8. सुदेश 9 सन्तोष 10 मंजू पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी करवा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 ।

उपस्थित : श्री विजय सिंह कडवासरा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की श्रीराम वल्द सरदारा जाति ब्रहाम्ण के नाम रोही मौजा चक सरदारपुरा के साबिका खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीघा खाम खातेदारी भूमि थी श्रीराम के मरने के बाद इस भूमि का खातेदार काश्तकार उसका लडका लक्ष्मीनारायण हुआ जो श्रीराम का इकलोता वारिस था लक्ष्मीनारायण वल्द श्रीराम ने उक्त खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीघा खाम भूमि को दिनाक 10.07.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बैयानामा वादी को बेचान कर दी व उसी समय वादी को वाद भूमि का मौका पर कब्जा दे दिया जिसे वादी काश्त करता आ रहा है।

श्रीराम पुत्र सरदारा व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीराम दोनो फोत हो चुके है जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है।

बन्दोबस्त हाल ने पुराना खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीघा भूमि के नये खसरा न0 166 ,167 ,168 में परिवर्तान कर दी अर्थात पुराने खसरा न0 122 मिन की 18.140 बीघा पक्की भूमि नये खसरा न0 166 में शामिल की गई थी जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तैयार करते समय नया खसरा न0 166 की 18.10 बीघा श्रीराम वल्द सरदारा के नाम दर्ज है जिसमें से 10 बीघा 2 बिश्वा यानी 2.5670हैक भूमि दाताराम वल्द लिखमीचन्द एवं 6.03 यानी 1.5550हैक चुन्नीराम वल्द विसाउराम के नाम दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया किन्तु उक्त भूमि श्रीराम वल्द सरदारा के इकलोते वारिस लक्ष्मीनारायण ने दिनांक 10.7.1974 को जरिये बैयनामा खसरा न0 122 मीन की 41.09 बीघा भूमि का बेचान कर दिया अब हाल रिकार्ड में 2.05 बीघा यानी 0.6330हैक भूमि खसरा न0 166/2 में हाल रिकार्ड में मृतक श्रीराम के नाम दर्ज है जो वादी की खरीदशुदा भूमि का भाग है।

इसप्रकार रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 122 मिन हाल खसरा न0 166/2 की 0.6330हैक भूमि मृतक श्रीराम के नाम से गलत तौर से दर्ज कर दी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो श्रीराम के वारिसान है फरोख्त करना चाहते है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है।

वादी अपने हक हिस्सा व जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 122 हाल खसरा न0 166/2 की 0.6330हैक भूमि को बेयनामा के आधार पर अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन जमाबन्दी मे दर्ज पते पर जारी करने के उपरान्त

Scanned with CamScanner

सम्मन तामिल नही होने पर वादी के निवेदन पर दैनिक समाचार पत्र में साया करवाया गया सम्मन दैनिक समाचार पत्र में साया होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 स्वय या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्हे वाद का जबाब पेश करने हेतु काफी समय दिया गया किन्तु बार बार समय दिये जाने अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही करने पर जबाब प्रतिवादी संख्या 1 बन्द किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 भी आगामी तारीख पेशीयों पर उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व भी एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी के साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की श्रीराम वल्द सरदारा जाति ब्रहाम्ण के नाम रोही मौजा चक सरदारपुरा के साबिका खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीधा खाम खातेदारी भूमि थी श्रीराम के मरने के बाद इस भूमि का खातेदार काश्तकार उसका लडका लक्ष्मीनारायण हुआ जो श्रीराम का ईकलोता वारिस था लक्ष्मीनारायण वल्द श्रीराम ने उक्त खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीधा खाम भूमि को दिनांक 10.07.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बैयानामा वादी को बेचान कर दी व उसी समय वादी को वाद भूमि का मौका पर कब्जा दे दिया जिसे वादी काश्त करता आ रहा है।

श्रीराम पुत्र सरदारा व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीराम दोनो फोत हो चुके है जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है।

बन्दोबस्त हाल ने पुराना खसरा न0 122 मिन की 41.09 बीधा भूमि के नये खसरा न0 166 ,167 ,168 में परिर्वतन कर दी अर्थात पुरान`खसरा न0 122 मिन की 18.140 बीधा पक्की भूमि नये खसरा न0 166 में शामिल की गई थी जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तैयार करते समय नया खसरा न0 166 की 18.10 बीधा श्रीराम वल्द सरदारा के नाम दर्ज है जिसमें से 10 बीधा 2 बिश्वा यानी 2.5670हैक भूमि दाताराम वल्द लिखमीचन्द एवं 6.03 यानी 1.5550हैक चुन्नीराम वल्द बिसाउराम के नाम दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया किन्तु उक्त भूमि श्रीराम वल्द सरदारा के इकलोते वारिस लक्ष्मीनारायण ने दिनांक 10.7.1974 को जरिये बैयनामा खसरा न0 122 मीन की 41.09 बीधा भूमि का बेचान कर दिया अब हाल रिकार्ड में 2.05 बीधा यानी 0.6330हैक भूमि खसरा न0 166/2 में हाल रिकार्ड में मृतक श्रीराम के नाम दर्ज है जो वादी की खरीदशुद्वा भूमि का भाग है जिसे वादी अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 के अनुसार रोह मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 122 की 41.09 बीधा भूमि का श्रीराम वल्द सरदाराराम खातेदार काश्तकार दर्ज है। श्रीराम वल्द सरदारराम का देहान्त हो गया जिसका एक मात्र वारिस लक्ष्मीनारायण है जिसके सम्बध में किसी को किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात श्रीराम वल्द सरदारराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि उसके पुत्र लक्ष्मीनारायण को प्राप्त हुई थी

नकल बैयानामा के अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीराम ने जरिये बेयनामा दिनांक 10.07.1974 को रोही मौजा बडबिरान के साबिका खसरा न0 122 की कुल 41.09 बीधा भूमि को वादी चुन्नीराम पुत्र बिसाउराम को बेचान कर दी गई थी। अर्थात समस्त भूमि का बेचान कर दिया गया था ।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा बन्दोंवस्त के दौरान रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 122 के हाल खसरा नम्बरों में परिर्वतन किया जाकर साबिका खसरा न0 122 के हाल खसरा न0 166 ,167 ,168 में पैमुद किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तेयार की गई । जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 से पूर्णतया साबित है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 में हाल खसरा न0 166/2 में 0.6330हैक भूमि श्रीराम वल्द सरदाराराम के नाम से दर्ज की गई है।

वादी का कथन है कि जब मृतक श्रीराम वल्द सरदाराराम के पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीराम ने साबिका खसरा न0 122 की 41.09 अर्थात समस्त भूमि का बेचान वादी का किया जा

Scanned with CamScanner

चुका है तो भू0प्रबन्ध विभाग को नये खसरा नम्बर बनाये जाकर बेचान की गई भूमि पुन: श्रीराम पुत्र सरदाराराम के नाम दर्ज ना की जाकर वादी क्रेता चुन्नीराम के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी वादी का कथन उचित प्रतित होता है क्योकि लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीराम ने साबिका खसरा नम्बर 122 की समस्त भूमि 41.09 बीघा भूमि का बेचान वादी चुन्नीराम को किया जा चुका था अर्थात साबिका खसरा न0 122 में लक्ष्मीनारायण या उसके मृतक पिता श्रीराम को कोई हक हिस्सा नही रहा था तो भू0प्रबन्ध विभाग ने साबिका खसरा न0 122 से हाल खसरा नम्बर बनाये जाकर केवल वादी चुन्नीराम का ही नाम ही बेयनामा के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था भू0प्रबन्ध विभाग ने बेचान की गई भूमि को पुनः बेचान कर्ता के नाम दर्ज की जाकर कानूनी भूल की गई है जिसे वादी संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद के सम्बध में प्रतिवादी को बार बार जबाब पेश करने एव साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार का जबाब पेश नही करने से भी यह साबित होता है कि प्रतिवादी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे वह वाद भूमि पर अपने हकों को साबित कर सके मात्र भू0प्रबन्ध विभाग की गलती से बैचान की गई भूमि में पुन नाम दर्ज हुआ है जिसे वादी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी किसी प्रकार का जबाब साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहने के कारण कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के हाल खसरा न0 166/2 की 0.6330हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है मृतक श्रीराम पुत्र सरदाराराम का नाम कलमतन किया जाता है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. चुन्नीराम पुत्र बिसाउराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 किशोर 2. सोरतन 3. राजु 4. जुगल पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी करबा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. पुरावा 6. मैना 7. भंवरी 8. सुदेश 9 सन्तोष 10 मंजू पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी करबा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

1

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 170 सन 2009 निर्णय दिनांक– 16/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा बडबिराना के हाल खसरा नं0 166/2 की 0.6330हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है मृतक श्रीराम पुत्र सरदारारा का नाम कलमतान किया जाता है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner